अध्याय 4

पशुओं की सुपुर्दगी (परिदान) या विक्रय

धारा 13. जब स्वामी पशुओं का दावा करता है और प्रभारों का संदाय करता है तब प्रक्रिया - यदि परिबद्ध पशुओं का स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित हो और पशुओं का दावा करे तो कांजीहौस रखवाला, ऐसे पशुओं की बावत उपगत प्रभारों और जुर्माने के तथा अमानती राशि जैसी धारा 12-अ में निर्धारित की हो के संदाय या उसे उनका परिदान कर देगा।

स्वामी या उसके अभिकर्ता, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजीहौस रखवाले द्वारा रखे गये रजिस्टर में उनके लिये पावती हस्ताक्षरित करेगा।

धारा 14. यदि पशुओं के लिये, सप्ताह तक दावा न किया जाये तो प्रक्रिया - यदि पशुओं के बारे में दावा, उनके परिबद्ध किये जाने की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया गया तो कांजीहौस रखवाला उस बात की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के भार-साधक अधिकारी को या, ऐसे अन्य अधिकारी को करेगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे।

ऐसा अधिकारी तब अपने कार्यालय के सहज दृश्य भाग में एक सूचना लगाएगा जिसमें निम्न कथन होगा -

(क) पशुओं की संख्या व वर्णन

(ख) वह स्थान जहाँ अभिग्रहीत किए गये थे,

(ग) वह स्थान जहाँ वे परिबद्ध किये गये हैं और डोंडी पिटवाकर उसकी उद्घघोषणा अभिग्रहण के स्थान के निकटतक ग्राम व बाजार स्थल में कराएगा।

यदि पशुओं का दावा, सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जावे तो उक्त अधिकारी या उस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त उसकी स्थापन के किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान व समय पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो जिला दण्डाधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा। परन्तु यदि जिला दण्डाधिकारी की राय हो कि किन्हीं ऐसे पशुओं का पूर्वोक्त रूप से विक्रय किये जाने पर उचित कीमत मिलना संभव नहीं है तो उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट या इसके सम्बन्ध में जो अधिकारी उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए हों, इनमें पूर्व में कोई बात अन्तर्विष्ट के होने पर भी अशक्त तथा लूले-लंगड़े पशु, सुअर, गधे को उनके बंद होने के पांच दिन के भीतर बिना सूचना जारी या इश्तहार के बेच सकते हैं।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, इस धारा के अन्तर्गत बेचे जाने वाले पशु को यथोचित मूल्य देने के लिये तैयार न हो तो जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किया अन्य अधिकारी, सुअर और गदहों को धारा 32 के अन्तर्गत बनाये नियम के अन्तर्गत नष्ट कर सकते हैं।

धारा 15. अभिग्रहण की वैधता पर विवाद उठाने वाले किन्तु निक्षेप करने वाले स्वामी को परिदान - यदि स्वामी या प्रतिनिधि उपस्थित होता है इस आधार पर कि पकड़ अवैधानिक है, जुर्माने और खर्च की राशि पटाने के लिए तथा घोषणा देने से अस्वीकार करता है तथा स्वामी धारा 20 के अन्तर्गत आरोप प्रस्तुत करने वाला है तब जुर्माने तथा ऐसे पशु के सम्बन्ध में किये गये खर्चे की रकम तथा अमानती राशि पटाये जाने पर धारा '12 अ' में आवश्यक घोषणा देने के पश्चात् पशु उसके सुपुर्द किये जा सकेंगे।

धारा 16. जब स्वामी जुर्माने और व्ययों का संदाय करने से इन्कार करता है तब प्रक्रिया - यदि स्वामी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होता है तथा कथित जुर्माने, खर्चा या अमानती राशि जमा करने से अस्वीकार करता है या नहीं देता है या जमा नहीं करता है या धारा 12 "अ" में आवश्यक घोषणा नहीं देता है तो उस दशा में उक्त पशु या उसमं से इतने पशु जितने कि आवश्यक हों, ऐसे पदाधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान पर तथा समय में धारा 14 में उल्लेखित शर्तों के अधीन या उपरोक्त बताये प्रावधान के अनुसार विक्रय किये जायेंगे तथा लागू करने योग्य जुर्माने तथा दाना-पानी पर किया खर्च, उस खर्च सहित जो विक्रय पर किया गया हो, तथा धारा 12-अ पर निर्धारित अमानती राशि विक्रय से उपलब्ध राशि से काट लिए जायेंगे।

(मध्यप्रदेश विधान क्र. 27 वर्ष 1949 तथा 23 वर्ष 1950 द्वारा संशोधित)

धारा 17. जुर्मानों, व्ययों और विक्रय के आगमों के अधिशेष राशि का व्ययन - वह अधिकारी जिसके द्वारा विक्रय किया गया हो,

धारा 16 के अधीन काटे गये खिलाने-पिलाने का प्रभार कांजीहौस रखवाले को संदत्त किया जावेगा जो धारा 13 के अधीन ऐसे प्रभारों को अपने द्वारा प्राप्त सब राशियों को भी प्रतिधारित और विनियोजित करेगा।

अमानती रकम का राशि जो धारा 12-अ के अधीन आवश्यक है, वह कांजीहौस रखवाले के पास जमा रहेगी।

पशुओं के विक्रय के आगमों से अधिशेष राशि, जिसका दावा न किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जायेंगे जो उन्हें तीन मास के लिये निक्षेप (Revenue Deposit) के रूप में रखेगा और यदि उस कालावधि के भीतर उस राशि के लिए दावा न किया गया और यह न सिद्ध हुआ तो उसकी समाप्ति पर यह समझा जावेगा कि वह राज्य के राजस्वों के रूप में रखे हुए हैं।

धारा 18. जुर्माने तथा बिक्री द्वारा उपलब्ध ऐसी राशि का उपयोग जिनका कोई दावेदार न हो - भारत सरकार आदेश 1937 द्वारा निरसित।

धारा 19. अधिनियम के अधीन विक्रयों में अधिकारियों और कांजीहौस रखवालों का पशुओं का क्रय न किया जाना - कोई भी पुलिस अधिकारी, या अन्य अधिकारी, या कांजीहौस रखवाला, जो इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन नियुक्त हो, इस अधिनियम के अधीन विक्रय किसी पशु का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय नहीं करेगा।

कोई भी कांजीहौस रखवाला किसी परिबद्ध पशु की निर्मुक्ति (Release) या परिदान (Delivery) इस अध्ययन के पूर्ववर्ती भाग के अनुसार करने के अन्यथा तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसी निमुक्ति या परिदान मजिस्ट्रेट या व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेशित न हो।